दिनांक-18.06.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर शराब तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 96 पव्वे देशी शराब महबूबा उ0प्र0 मार्का बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियन्त्रण, अवैध मादक पदार्थ / शराब की तस्करी की रोकथाम एवं इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व मे कल दिनांक 17.06.2024 को थाना बिहारीगढ पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 शातिर शराब तस्कर **अभियुक्त राजू पुत्र रुपचन्द निवासी ग्राम कोठडी बहलोलपुर थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर** को ग्राम कोठडी बहलोलपुर बैरियर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से **96 पव्वे (ट्रैटा पैक) देशी शराब महबूबा मार्का (उ0प्र0)** बरामद हुयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना बिहारीगढ पर **मु0अ0सं0 94/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम** पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय समक्ष के पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

राजू पुत्र रुपचन्द निवासी ग्राम कोठडी बहलोलपुर थाना बिहारीगढ सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

96 पव्वे (ट्रेटा पैक) महबूबा मार्का।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 66/16 धारा आबकारी अधि0 थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 162/16 धारा आबकारी अधि0 थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 07/24 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 94/24 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री रोबिन राठी थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर
2. है0का0 23 जितेन्द्र कुमार थाना बिहारीगढ सहारनपुर
3. है0का0 955 भीम सिंह थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 18.06.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के 01 वाँछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 25.03.2024 को वादी श्री आशिक पुत्र इलम सिंह निवासी ग्राम कुल्हेडी थाना नकुड जनपद सहारनपुर ने उपस्थित थाना आकर एक लिखित तहरीरी बाबत अभियुक्तगण विक्की जाट उर्फ विकास पुत्र कर्मवीर निवासी ग्राम कुल्हेडी थाना नकुड जनपद सहारनपुर व दो अज्ञात द्वारा वादी के भाई अक्षय के साथ गाली गलोच कर जाति सूचक शब्दो का प्रयोग करते हुए जान से मारने की नियत से नुकीले पत्थरो से सिर पर वार कर घायल करने के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर **मु0अ0सं0 88/24 धारा 307/324/504 भादवि व 3(2)5 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट** पंजीकृत कराया गया। विवेचना से मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण **गोविन्द पुत्र जसवंत निवासी ग्राम रोशनपुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर व सौरभ पुत्र कल्लू निवासी ग्राम बाधी थाना नकुड सहारनपुर** का नाम प्रकाश में आया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का संज्ञान लेते हुए वांछित अभियुक्तगणो की गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिए गये जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व मे थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा **दिनांक 17.06.24** को मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त मे वांछित **अभियुक्त गोविन्द पुत्र जसवंत निवासी ग्राम रोशनपुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर** को इसके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त गोविन्द उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि दिनांक 25.03.24 को मैं अपने साथी सौरभ पुत्र कल्लू निवासी ग्राम बाधी थाना नकुड सहारनपुर और विक्की जाट उर्फ विकास पुत्र कर्मवीर निवासी ग्राम कुल्हेडी थाना नकुड जनपद सहारनपुर के साथ मिलकर शमशान घाट के पास बैठकर नशा कर रहे थे, तभी वहां पर हमारे गांव का अक्षय पुत्र इलम सिंह मोटरसाईकिल पर आया था हमने अक्षय से उसकी मोटरसाईकिल मांगी तो अक्षय ने मोटरसाईकिल देने से मना कर दिया था। इसी बात को लेकर हमारा अक्षय से झगडा हो गया हम तीनों ने वही पास में पडे धारदार पत्थरों से जान से मारने की नियत से अक्षय के सिर पर वार कर दिये थे अक्षय के शौर मचाने वहां कुछ लोग आ गये जिनको देखकर हम लोग पत्थरों को वही खेत में फैक कर वहां से भाग गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

गोविन्द पुत्र जसवंत निवासी ग्राम रोशनपुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री वेदपाल सिह थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 1074 कालूराम थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः -18.06.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 10.40 ग्राम अवैध स्मैक व तस्करी में प्रयुक्त 01 मोटरसाईकिल स्पलेन्डर प्लस UP11-CN 1158 बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियन्त्रण, नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम एवं इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थानाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र कुमार राय के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 18.06.2024 को थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त आवेश पुत्र दिलशाद नि0 ग्राम तिगरी थाना नकुड जिला सहारनपुर को नकुड रोड ग्राम अगवानहेडा के पास से गिरफ्तार किया गया । जिसके कब्जे से 10.40 ग्राम अवैध स्मैक व 01 मोटरसाईकिल स्पलेन्डर प्लस UP11 CN 1158 बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 – 139/24 धारा 8/21/60(3) एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त आवेश उपरोक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त आवेश ने पूछताछ पर बताया कि मै अनपढ हूं और नशे का आदी है। मै स्मैक अन्य राज्यों से सस्ते दाम पर खरीदकर यहां आने जाने वाले मजदूरो व ट्रक चालको को मंहगे दाम में बेच देता हूँ। जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है और मेरे नशे का खर्चा भी चल जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः -

आवेश पुत्र दिलशाद निवासी ग्राम तिगरी थाना नकुड जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

- 10.40 ग्राम अवैध स्मैक
- 01 मोटरसाईकिल स्पलेन्डर प्लस UP11 CN 1158

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री राजीव कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. हे0का0 1006 तरूण थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. है0का0 1050 नितिन थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक-18.06.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर शराब तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 12 बोतल अंग्रेजी शराब (Naughty Boys) Whisky उत्तराखण्ड मार्का बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियन्त्रण, अवैध मादक पदार्थ / शराब की तस्करी की रोकथाम एवं इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व मे **आज दिनांक 18.06.2024** को थाना बिहारीगढ पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 शातिर नशा तस्कर **अभियुक्त सोमपाल उर्फ सोम्मा पुत्र जुम्मन निवासी ग्राम कालूवाला पहाडीपुर उर्फ जहानपुर थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर** को सूरजपाल के आम के बाग के पास सडक पर ग्राम कालूवाला पहाडीपुर उर्फ जहानपुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से **12 बोतल अंग्रेजी शराब (Naughty Boys) Whisky उत्तराखण्ड मार्का** बरामद हुयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना बिहारीगढ पर **मु0अ0सं0 95/24 धारा 63 आबकारी अधिनियम** पंजीकृत किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय समक्ष के पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त सोमपाल उर्फ सोम्मा उपरोक्त ने बताया कि मै शराब अन्य राज्यों से सस्ते दाम में खरीदकर यहां आस पास के क्षेत्र में मंहगे दाम पर बेच देता हूं। आज भी मै यह शराब उत्तराखण्ड से खरीदकर यहां बेचने के लियें जा रहा था कि पुलिस टीम द्वारा मुझे पकड लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–

सोमपाल उर्फ सोम्मा पुत्र जुम्मन निवासी ग्राम कालूवाला पहाडीपुर उर्फ जहानपुर थाना बिहारीगढ सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

12 बोतल अंग्रेजी शराब (Naughty Boys) उत्तराखण्ड मार्का।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

5. मु0अ0सं0 43/06 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 203/07 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 वेदप्रकाश थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 राजेश सिंह थाना बिहारीगढ सहारनपुर
3. का0 2276 देवेन्द्र कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 18.06.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 बुलेट मोटरसाईकिल बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियन्त्रण, वाहन चोरी की रोकथाम एवं इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक देवबंद के निर्देशन मे थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 18-06-24 को 01 शातिर वाहन चोर अभियुक्त अमित पुत्र दीपचन्द निवासी ग्राम हाशिमपुरा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर चौकी मंगलौर के सामने से चैकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी की बुलट मोटर साईकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना देवबन्द पर अभियुक्त अमित उपरोक्त के विरूद्ध मु0अ0स0 310/24 धारा 411/414 भादवि पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–

अमित पुत्र दीपचन्द निवासी ग्राम हाशिमपुरा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

मोटरसाईकिल रायल इनफिल्ड 350 रजि0 न0 HP86 – 7138

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 संजय कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
2. है0का0 902 गोविन्द कुमार यादव थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
3. है0का0 संदीप भाटी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक-18-06-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा वांछित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 10.05.2024 को वादी श्री दिव्य प्रकाश भारती पुत्र महेन्द्र सिहं निवासी दभेडी थाना थानाभवन जनपद शामली ने थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण द्वारा वादी के छात्रो के साथ मारपीट, जातिसूचक शब्द, गाली गलौच करने तथा जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध मे दिया गया था। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 89/2024 धारा 147/323/504/506 भादवि व 7 सी.एल. एक्ट व 3(2)(5)क एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना जनकपुरी के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 18.05.2024 को उपरोक्त मुकदमें में वांछित अभियुक्तगण 1.सोनू उर्फ आमिर पुत्र सईद अहमद, 2.सलमान पुत्र मोहम्मद अहसान निवासीगण मो0 नई बस्ती खानआलमपुरा थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर को सपना पुल से नीचे के रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-:

1. सोनू उर्फ आमिर पुत्र सईद अहमद निवासी मो0 नई बस्ती खानआलमपुरा थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
2. सलमान पुत्र मोहम्मद अहसान निवासी मो0 नई बस्ती खानआलमपुरा थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम-:

1. उ0नि0 श्री रनपाल सिहं, थाना जनकपुरी, स0पुर।
2. उ0नि0 श्री अशोक सिहं, थाना जनकपुरी, स0पुर।
3. कां0 2052 रोहितसैन, थाना जनकपुरी, स0पुर।
4. कां0 2487 अनिल कुमार, थाना जनकपुरी, स0पुर।
5. कां0 2166 साहुल, थाना जनकपुरी, स0पुर।

दिनांक - 18.06.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद, सहारनपुर पुलिस द्वारा अपहर्ता को सकुशल बरामद किया गया।

अवगत कराना है कि दिनांक 12.04.2024 को वादी की लिखित तहरीर बाबत वादी की पुत्री को अज्ञात व्यक्ति द्वारा ले जाने के संबंध में थाना देवबंद पर मु0अ0सं0 180/2024 धारा 366 भदावि पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अपहर्ता की सकुशल बारमदगी हेतु दिशा निर्देश दिये गये। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी देवबंद श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना देवबंद पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 18.06.2024 को मुखबिर की सूचना पर अपहर्ता को साईधाम के पास से सकुशल बरामद किया गया एवं पीडिता के धारा 161 सीआरपीसी के बयान अंकित करते हुये आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामद करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री आजाद सिंह थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. का0 338 रविन्द्र गिरि थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
3. म0का0 2155 हिमानी थाना देवबंद जनपद सहारनपुर ।